भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **974** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

एमएससी एल्सा 3 का पलटना

†974. एडवोकेट अदूर प्रकाश :

श्री चरनजीत सिंह चन्नी :

एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

श्री बैन्नी बेहनन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोच्चि के निकट विदेशी ध्वज वाले पोत एमएससी एल्सा 3 के पलटने से उजागर हुई प्रणालीगत खामियों की कोई जाँच की है और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या भारत के तटीय क्षेत्रों में तेल और रासायनिक रिसाव के लिए टियर I और टियर III आपातकालीन अनुक्रिया अवसंरचना का अभाव है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौवहन महानिदेशालय (डीएसजी) ने डीजीएस आदेश 2023 के अंतर्गत विदेशी ध्वज वाले ट्रांसशिपमेंट पोतों को तटीय व्यापार लाइसेंसिंग और आयु सीमा से रियायत दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी रियायतों के पीछे क्या तर्क है;

(घ) क्या प्रमुख भारतीय पत्तनों के लिए समुद्री टग और नियंत्रण प्रणालियों सहित न्यूनतम आपातकालीन तैयारी मानकों को अनिवार्य किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार आईएमओ के बंकर कन्वेंशन, एचएनएस कन्वेंशन और मलबा हटाए जाने संबंधी कन्वेंशन को स्वीकार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो इसके लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नौवहन महानिदेशालय के फील्ड कार्यालय, समुद्री वाणिज्य विभाग (एमएमडी), कोच्चि द्वारा घटना के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने के लिए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत एक सांविधिक प्रारंभिक जांच की जा रही है।

(ख): भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा मंत्रालय ने तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (एनओएस-डीसीपी) विकसित की है। टियर I प्रतिक्रिया क्षमताओं का उद्देश्य रिसाव की छोटी घटनाओं से निपटना है, जिसके लिए भारत में विभिन्न पत्तनों और तेल हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा आकस्मिक योजनाएँ और आवश्यक उपस्कर रखे जाते हैं जिससे उन्हें रिसाव की किसी भी छोटी घटना के लिए आंतरिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलती हैं। तेल रिसाव की बड़ी घटनाओं से निपटने के उद्देश्य से टियर III प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तेल हैंडलिंग एजेंसियों, पत्तनों और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से संसाधनों को जुटाना और उनका पूल तैयार करना अपेक्षित है।

(ग): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2018 का सामान्य आदेश संख्या 1 जारी किया है जिसमें यह निदेश दिया गया है कि लाइसेंसिंग की अपेक्षा का प्रावधान, ट्रांसशिपमेंट के लिए पूर्णत: या आंशिक रूप से आयात-निर्यात माल से लदे कंटेनरों के परिवहन हेतु लगाए गए विदेशी ध्वज वाले पोतों द्वारा भारत के तटीय व्यापार में लगाने और खाली कंटेनरों के परिवहन के लिए पूर्णत: या आंशिक रूप से लगाए गए विदेशी ध्वज वाले पोतों पर लागू नहीं होगा। एमएस अधिनियम, 1958 की धारा 406 और 407 के तहत लाइसेंस की अपेक्षा वाले और दिनांक 24.02.2023 के 2023 के डीजीएस आदेश सं.06 के दिन चार्टर में पहले से शामिल विदेशी ध्वजवाहक जलयानों को उक्त ऑर्डर की तिथि से 03 वर्ष तक या चार्टर अवधि तक, जो भी पहले हो, प्रचालन की अनुमति है।

(घ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नौवहन महानिदेशालय के माध्यम से मुंबई और चेन्नै में आपातकालीन टोइंग (Towing) के लिए दो समुद्री में जाने वाले टग तैनात किए हैं। ये टग मुंबई पत्तन प्राधिकरण और चेन्नै पत्तन प्राधिकरण द्वारा चार्टर किए गए हैं। तदनुसार, मंत्रालय ने पूर्वी और पश्चिमी, दोनों तटों पर आपातकालीन टोइंग जलयानों (ईटीवी) की व्यवस्था की है।

(ङ): लोकसभा में पेश वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024 में बंकर तेल प्रदूषण क्षति के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फोर बंकर ऑयल पॉलूशन डेमेज, 2001 (बंकर कन्वेंशन) और नैरोबी इंटरनेशनल ऑन दी रिमूवल ऑफ रेक्स, 2007 के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

*****